

न्याय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

प्रार्थना पत्र सं. 1/21	धारा अंतर्गत 212 RTA	ग्राम जे.ए.वे.डी (सुमानपुरमरीम) 56 डी	तहसील
वादी शमशेर	वाद शीर्षक बनाम	प्रतिवादी मक्या	

2021/209

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** **विविध संदर्भ**

28¹⁰/₂₁

अभिलेख प्रती द्वारा प्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA विशुद्ध अप्रार्थी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थी गणों को परिणत समतल व कर फीवली दिनांक 16/11/21 को पेश हो।

DA

16¹¹/₂₁

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 12.11.21 को पेश हो।

DA
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,
छबड़ा (बारा)

7³/₂₂

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 14.11.21 को पेश हो।

DA
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,
छबड़ा (बारा)

14³/₂₂

आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 19.11.21 को पेश हो।

DA
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,
छबड़ा (बारा)

दिनांक

15.4.24

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 22.5.24 को पेश हो।

ly
रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

27 5/24

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 23.7.24 को पेश हो।

ly
रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

23.7.24

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी उपर्युक्त पत्रावली को नवीन तलवी हेतु आदेशपत्र प्रेषित करने पर प्रकरण इसी तलपर कार्रवाई कर दिया जावेगा। पत्रावली वास्तव तलवी दिनांक 7.8.24 को पेश हो।

7.8.24

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 17.9.24 को पेश हो।

ly
रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

17.9.24

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 22.10.24 को पेश हो।

ly
रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

22.10.24

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी एवं स्वयं पार्थी उपस्थित नहीं हैं। न्यायालय के कक्ष-कक्ष कर तीन बार हाजिर लगावा गई। न्यायालय कार्यवाही स्थगित होने तक इंतजार किया। वकील पार्थी एवं स्वयं पार्थी उपस्थित नहीं हैं। प्रकरण कठोर दायरी कठोर पेशी के कार्रवाई किया जा रहा है। पत्रावली प्रेशाल सुनार सेकर दाखिल उपर्युक्त है।